/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 में प्रदत्त दिशा–निर्देशानुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया जावें।

उपरोक्तानुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो। पत्रावली तहरीर जारी होकर बईंतजार विभाजन प्रस्ताव हेतु दिनांक 08.10.2025 को पेश हो।

8/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा प्राप्त हो चुका है जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते बहस विभाजन प्रस्ताव दिनांक 07.11.2025 को पेश हो।

7/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार पाटन से पूर्व में प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में विस्तृत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। वकील वादी की विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने तहसीलदार पाटन से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज करते हुए वादपत्र में मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार पाटन से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि तहसीलदार पाटन से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव से वकील वादी सहमत है। अतः वाद वादी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible] हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 07.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.12.18 11:12:48 IST
Reason: Self Attested

(राजवीर सिंह यादव)
सहायक कलेक्टर,
(फरिस्ट ट्रैक) नीमकाथाना

सहायक कलेक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर)

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना मुकाम नीमकाथाना
व इजलास राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), नीमकाथाना

1. सीताराम पुत्र गोकुलराम जाति अहीर निवासी ढाणी बिन्दाला तन टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर। —वादी—

बनाम

1. कैलाशसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी रावताली तन झारिण्डा मोकलवास नीमकाथाना जिला सीकर। —प्रतिवादीगण—

मुकदमा नम्बर— 47 / 2025
दावा बाबत विभाजन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)** सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना व हाजरी श्री रोशनलाल अग्रवाल एडवोकेट वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादी मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हों।

निज...............×.......................मुबलिग...................×.......................बाबत...............×....................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह......................×.................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....................×...........................को अदा करें। बसखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 07 माह 11 सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
सहायक कलक्टर (FT)
नीमकाथाना (सीकर)
सहायक कलक्टर(फ़ास्ट ट्रेक)
नीमकाथाना(राज0

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा	/		स्टाम्प अर्जी दावा	/	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.12.18 11:12:48 IST
Reason: SelfAttested

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।